

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2011 के मॉडल उत्तर के संबंध में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने संबंधी निर्देश


महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आपत्ति स्वीकार करने की प्रारंभ तिथि-25 मई 2013 अपराह्न 12:00 बजे से
ऑनलाइन आपत्ति स्वीकार करने की अंतिम तिथि-09 जून 2013 रात्रि 12:00 बजे तक
आयोग को ऑनलाइन आपत्ति संबंधी प्रपत्र व प्रमाण प्राप्त होने की अंतिम तिथि-13 जून 2013 शाम 05:00 बजे तक
Help Desk Number -9981996587, 9981996597

ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने संबंधी निर्देश

1. इच्छुक अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से मॉडल उत्तर के संदर्भ में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
2. ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने हेतु अभ्यर्थी को अपने अनुक्रमांक तथा जन्म तिथि की प्रविष्टि कर लॉगिन करना होगा।
3. लॉगिन करने के पश्चात अभ्यर्थी विषय, प्रश्न-पत्र (वैकल्पिक विषय हेतु), प्रश्न-पत्र का सेट तथा प्रश्न क्रमांक की प्रविष्टि करने के पश्चात अभ्यर्थी को आपत्ति के प्रकार का चयन करना होगा। आपत्ति के प्रकार निम्नवत हो सकते हैं-
 - a. प्रश्न गलत है।
 - b. प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर का है।
 - c. प्रश्न के सारे उत्तर विकल्प गलत हैं।
 - d. प्रश्न के एक से अधिक उत्तर विकल्प सही है।
 - e. आयोग द्वारा जारी उत्तर विकल्प गलत है।
 - f. प्रश्न के हिन्दी/अंग्रेजी अनुवाद में तथ्यात्मक भिन्नता है।
4. यदि अभ्यर्थी द्वारा "आयोग द्वारा जारी उत्तर विकल्प गलत है" को चुना जाता है तो उसे स्वयं के अनुसार सही उत्तर विकल्प की प्रविष्टि करनी होगी।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा "प्रश्न के एक से अधिक उत्तर विकल्प सही है" को चुना जाता है तो उसे स्वयं के अनुसार सही उत्तर विकल्पों की प्रविष्टि/चयन करना होगा।
6. किसी भी प्रकार की आपत्ति के चयन के पश्चात अभ्यर्थी को आपत्ति के समर्थन में प्रमाण स्वरूप आयोग को प्रेषित किए जाने वाले सुसंगत अभिलेख के स्रोत का विवरण प्रविष्टि करना होगा जिसके अंतर्गत प्रमाण स्वरूप प्रयुक्त अभिलेख से संबंधित पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, संस्करण, प्रकाशन तिथि, पृष्ठ संख्या इत्यादि का उल्लेख करना होगा तथा संबंधित पृष्ठ की फोटोप्रति आयोग को प्रेषित करनी होगी। यदि प्रमाण स्वरूप प्रेषित किया जाने वाला अभिलेख प्रतिष्ठित वेबसाइट से लिया गया हो तो अभ्यर्थी को अभिलेख के लिंक का उल्लेख करना होगा। अभ्यर्थी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि उनके द्वारा अपनी आपत्ति के समर्थन में यदि प्रमाण वेबसाइट से लिया गया हो तो आयोग को उस वेबसाइट का अथवा कंटेंट का लिंक न प्रेषित किया जाए अपितु वेबसाइट से कंटेंट को डाउनलोड कर प्रिंट कर आयोग को प्रेषित करें।
7. ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने तथा पोर्टल शुल्क अदा करने के पश्चात दर्ज की गई आपत्तियों से संबंधित रसीद/पावती प्राप्त होगी जिसके साथ अभ्यर्थी को अपने उत्तर/आपत्ति के समर्थन में प्रमाण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को अनिवार्य रूप से डाक से/स्वयं उपस्थित होकर प्रेषित/प्रस्तुत करना होगा।
8. अभ्यर्थी द्वारा जिस लिफाफे में ऑनलाइन आपत्ति की रसीद/पावती के साथ अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज प्रेषित/प्रस्तुत किए जाए उस लिफाफे के उपर अभ्यर्थी का नाम, रोलनंबर तथा रसीद/पावती का क्रमांक लिखा जाना अनिवार्य होगा।
9. अभ्यर्थी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करते समय अपने पास संबंधित प्रश्न-पत्र तथा आपत्ति के समर्थन में आयोग को प्रेषित किए जाने वाले दस्तावेजों की पेज नंबरिंग करके अपने पास रखें। आयोग को प्रेषित किए जाने वाले प्रत्येक पृष्ठ के उपरी हिस्से पर विषय, प्रश्न-पत्र (वैकल्पिक विषय हेतु), प्रश्न-पत्र का सेट तथा प्रश्न क्रमांक अवश्य लिखें।

10. अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्न/उत्तर संबंधी दर्ज की गई आपत्ति के समर्थन में प्रविष्ट किए गए विवरण के अनुरूप पृथक-पृथक दस्तावेज/अभिलेख आयोग कार्यालय को प्रेषित करना होगा। संयुक्त रूप से प्रेषित अभिलेख/दस्तावेज स्वीकार्य नहीं होंगे अर्थात् अभ्यर्थी को एक पन्ने पर एक से अधिक आपत्तियों के संदर्भ में दस्तावेज नहीं भेजना है। प्रत्येक आपत्ति के संदर्भ में भेजा जाने वाला दस्तावेज नए पन्ने से शुरू होना चाहिए।
11. ऑनलाइन आपत्ति की रसीद/पावती के साथ आपत्ति के समर्थन में प्रयुक्त दस्तावेज लगाकर उन पर पेज नंबरिंग करना अनिवार्य होगा साथ ही ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करते समय यह अंकित करना भी अनिवार्य होगा कि किस आपत्ति के समर्थन में संलग्न दस्तावेजों में से कहां से कहां तक की पृष्ठ संख्या वाले पेज संलग्न किए गए हैं। इस निर्देश का पालन नहीं करने पर सरसरी तौर पर ही आपत्ति अस्वीकार कर दी जाएगी। ऑनलाइन आपत्ति की रसीद/पावती के बिना आपत्ति के समर्थन में प्रयुक्त दस्तावेज आयोग को प्रेषित करने पर आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
12. आपत्ति के समर्थन में आयोग कार्यालय को प्रेषित किए जाने वाले प्रत्येक पन्ने तथा पृष्ठ के उपरी हिस्से पर विषय, प्रश्न-पत्र (वैकल्पिक विषय हेतु), प्रश्न-पत्र का सेट तथा प्रश्न क्रमांक लिखा होना अनिवार्य है।
13. यदि दर्ज की गई आपत्ति के समर्थन में प्रेषित दस्तावेज अथवा अभिलेख सुसंगत न हो तो आयोग द्वारा आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
14. समस्त वांछित प्रश्नों/उत्तरों से संबंधित आपत्ति दर्ज करने के पश्चात अभ्यर्थी को पोर्टल शुल्क के रूप में 35/-(पैंतीस रुपये मात्र) जमा करने होंगे। यदि अभ्यर्थी ऑनलाइन आपत्ति स्वयं दर्ज कर रहे हों तो वे उक्त पोर्टल शुल्क का भुगतान ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। सुविधा केन्द्र के माध्यम से आपत्ति दर्ज करने वाले अभ्यर्थी सुविधा केन्द्र संचालक को नगद 35/-(पैंतीस रुपये मात्र) का भुगतान कर शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
15. सुविधा केन्द्र के माध्यम से आपत्ति दर्ज करने की स्थिति में 35/- के पोर्टल शुल्क की अदायगी पर सुविधा केन्द्र संचालक द्वारा पावती/रसीद के प्रथम पृष्ठ का प्रिंट आउट प्रदान करने हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा, परंतु एक से अधिक पृष्ठों की पावती/रसीद प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को प्रथम पृष्ठ को छोड़कर शेष पृष्ठों के लिए 5/- प्रति पृष्ठ की दर से सुविधा केन्द्र को अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
16. सुविधा केन्द्र द्वारा ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने की सेवा प्रदान करने हेतु निर्धारित राशि से अधिक की मांग करने पर अभ्यर्थी निम्न नंबरों पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं- 9981996587, 9981996597. ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने की सेवा के संदर्भ में अन्य किसी शिकायत अथवा सहायता के लिए भी उक्त नंबरों पर मदद ली जा सकती है।
17. कार्ड/नेटबैंकिंग के माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान फिशिंग/हैंकिंग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।
18. अभ्यर्थी यह भली-भांति समझ लें कि यदि ऑनलाइन आपत्ति शुल्क की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रेषित आपत्ति कदापि स्वीकार नहीं की जाएगी।
19. अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान की स्थिति में प्राप्त होने वाली पावती/रसीद पर **Payment Status** के सामने **Payment Done** मुद्रित होगा। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा दर्ज आपत्ति स्वयमेव खारिज हो जाएगी एवं इस संदर्भ आयोग द्वारा किसी भी प्रकार का आवेदन/अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
20. एक अभ्यर्थी केवल एक बार में उन प्रश्न-पत्रों जिनमें वह सम्मिलित हुआ/हुई हो के चाहे जितने प्रश्नों/उत्तरों संबंधी आपत्ति दर्ज कर सकता है।
21. नियत तिथि के पश्चात आयोग कार्यालय को प्राप्त पावती/रसीद युक्त प्रमाण स्वरूप प्रेषित दस्तावेजों/अभिलेखों को स्वीकार नहीं किया जाएगा इस प्रकार अभ्यर्थी द्वारा दर्ज की गई आपत्तियां स्वयमेव निरस्त हो जाएंगी।
22. ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने हेतु सुविधा केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-एक पर संलग्न है।


 परीक्षा नियंत्रक
 छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
 रायपुर